9th ULC-RANKA STATE MOOT COURT COMPETITION 2020

Moot Problem

Rameshwar Singh, Aged 41, was a resident of Rampura Village in Rajasthan. He had a daughter named, Rita. Mr. Rameshwar Singh arranged his daughter's marriage in the year 2010, when she was 14 year of age with Mr. Abhishek, aged 16 year.

After marriage Mr. Rameshwar refused for vidai of his daughter as he said that she was studying in class 10th on that day, and he will organise vidai ceremony after completion of her senior secondary.

On a particular day in the month of December 2012, when Rita was going to her school, her husband forcefully taken her alongwith him on a pretext that they will visit and enjoy Jaipur, while they were travelling from their village to Jaipur, he committed sexual intercourse with her.

After the incident, Abhishek left her near Rita's school and asked her not to tell anybody about the incident. She was under fear so she did not tell anybody about the incident. Two years later, after completion of her senior secondary she refused her father to go to her in-law's house by stating that she will study further and she will go to her in-law's house only after completion of 18 year.

The moment she completed her age of majority, she filed an application in the Family Court for declaring her child marriage void and for maintenance. With this she also lodged a complaint in the criminal court against Abhishek stating charges of Abduction and committing Rape under POCSO Act.

The Family Court decided the matter and held that her marriage is void but did not pass any order about maintenance and the criminal court dismissed the complaint. Aggrieved from the decisions of Family Court and The Criminal Court, Rita appealed against Abhishek before the Hon'ble High Court for the Maintenance and for the charges of offence of Abduction and committing Rape under POCSO Act. On the other side for declaring his marriage valid under Hindu Laws Mr. Abhishek has also

appealed before the same High Court against the decision of Family Court. Both the appeals have been clubbed by the Hon'ble High Court and will be heard together.

The participants may take into consideration the following Acts/ Statutes

1. The Constitution of India
2. The Hindu Marriage Act, 1955
3. The Hindu Minority and Guardianship Act, 1956
4. The Prohibition of Child Marriage Act, 2006
5. The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012
6. The Indian Evidence Act, 1872
7. The Criminal Procedure Code, 1973
8. The Civil Procedure Code, 1908
9. The Family Court Act, 1984
10. The Indian Penal Code, 1860
11. Other Relevant Laws

9th ULC-RANKA STATE MOOT COURT COMPETITION 2020

मूट–समस्या

41 वर्षीय रामेश्वर सिंह राजस्थान के रामपुरा गांव का निवासी था। उसकी रीटा नाम की एक पुत्री थी। जब वह 14 वर्ष की थी तब रामेश्वर सिंह ने 2010 में अपनी पुत्री की शादी 16 वर्षीय अभिषेक के साथ तय कर दी।

शादी करने के पश्चात् रामेश्वर ने यह कहते हुये विदाई से मना कर दिया कि वह (पुत्री) अभी 10 वीं कक्षा में पढ़ रही है और उसकी उच्च माध्यमिक पूर्ण करने के पश्चात् विदाई समारोह आयोजित करेगा।

दिसंबर 2012 के एक विशेष दिन जब रीटा अपने स्कूल जा रही थी उसका पति उसे यह बहाना बनाकर कि वे जयपुर घूमेंगे और मौज करेंगे, अपने साथ जबरदस्ती ले गया। जब वे अपने गांव से जयपुर यात्रा कर रहे थे उस दौरान उसने (अभिषेक) रीटा के साथ संभोग किया।

इस घटना के पश्चात् अभिषेक ने रीटा को उसके स्कूल के पास छोड़ा और कहा कि इस घटना के बारे में वो किसी को न बताए। वो भय में थी इसलिए उसने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। 2 वर्ष पश्चात् अपनी उच्च माध्यमिक पूर्ण करने पर रीटा ने अपने पिता को ससुराल जाने से मना कर दिया और कहा कि उसे आगे पढ़ाई करनी है और वह 18 वर्ष की होने पर ही अपने ससुराल जाऐगी।

वयस्कता आयु प्राप्त करते ही रीटा ने परिवार न्यायालय में अपने बाल विवाह को शुन्य घोषित करवाने एवम् भरणपोषण के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसके साथ उसने दाण्डिक न्यायालय में भी अभिषेक के विरुद्व पोक्सो अधिनियम के अर्न्तगत अपहरण एवम् बलातसंग कारित करने के आरोपों के कथन के साथ एक परिवाद दायर किया।

परिवार न्यायालय ने मामले का निपटारा किया और शादी को शुन्य घोषित कर दिया, परन्तु भरणपोषण के सम्बंध में कोई आदेश पारित नहीं किया और दाण्डिक न्यायालय ने परिवाद को खारिज कर दिया।

परिवार न्यायालय एवम् दाण्डिक न्यायालय के निर्णयों से व्यथित रीटा ने अभिषेक के विरुद्व भरणपोषण एवम् पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अपहरण एवम् बलातसंग कारित करने के अपराध के सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय मे अपील दायर की। दूसरी तरफ अभिषेक ने भी अपनी शादी को हिन्दू विधि के अन्तर्गत वैद्य घोषित करवाने के लिए परिवार न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध उसी उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। दोनों अपील को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संयोजित कर दिया गया और दोनों को एक साथ सुना जायेगा।

प्रतिभागी निम्नलिखित अधिनियमों/विधियों पर विचार कर सकते हैं।

1. भारत का संविधान
2. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
3. हिन्दू अप्राप्तव्यता एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956
4. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
5. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012
6. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
7. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
8. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
9. परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984
10. भारतीय दण्ड संहिता, 1860
11. अन्य प्रासंगिक विधियाँ